

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

// निविदा //

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में माननीय न्यायाधिपति महोदय के बंगलो/जजेस गेस्ट हाउस/डी0जे0 विजलेस ऑफिस एवं उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के कार्यालय के एयर कूलरों की सर्विसिंग एवं आवश्यक पार्ट्स के लिये दरे माह मार्च 2023 से माह अगस्त 2023 तक के लिये प्राप्त की जाना है।

इच्छुक फर्म कार्यालय समय में एयर कूलर का निरीक्षण कर प्रोटोकॉल अनुभाग में दिनांक 01.03.2023 सोमवार को दोपहर 01:30 बजे तक सील्ड/बंद लिफाफे में कोटेशन मय पार्ट्स की दर के साथ प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के नाम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल <https://mphc.gov.in> पर भी निविदा के नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

नियम एवं शर्तें :-

1. जिस स्थान पर एयर कूलर स्थापित है वही सर्विसिंग करनी होगी।
2. कार्यालय के अनुमानित 79 (जम्बो एवं मिडियम साईज) एयर कूलर में नवीन घास लगानी है।
3. फर्म को एयर कूलर के पार्ट्स जैसे- कॉपर वाइडिंग फेन मोटर, वॉटर पम्प बड़ा, वॉटर पम्प छोटा, वायर कार्ड, कंडेनसर, डिमर स्विच, स्पीड स्वीच, वॉटर स्वीच, इंडीगेटर, फेन ब्लेड, कूलर ग्रिल, वॉटर पम्प नली, एयर कूलर वॉटर टेक (छोटी) एयर कूलर वॉटर टेक (बड़ी) आदि पार्ट्स के नाम एवं दर प्रस्तुत करनी होगी।
4. फर्म को जम्बो एयर कूलर एवं मिडियम साईज एयर कूलर की प्रति नग सर्विसिंग की राशि कोटेशन में अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी।
5. फर्म को सर्विसिंग सेवाएं नियमित के अतिरिक्त अवकाश के दिन एवं अपात स्थिति में रात्रि में भी सेवाएं देना होगी।
6. फर्म को एयर कूलर की सर्विसिंग करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
7. फर्म को कोटेशन में जीएसटी नम्बर, पैन नम्बर, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी अंकित करना होगा।
8. आवश्यकता होने पर प्रस्तावित अवधि में वृद्धि का अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा।
9. कोटेशन स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

23/4/23

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,

23/4